न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2020	03.02.2020	30/1/2026

देवीसिंह पुत्र स्व0 बत्तू, जाट निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
——अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. रामसिंह पुत्र स्व. श्री प्रभू, जाट निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
3. कमलसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभू, जाट निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
4. भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री बत्तू, जाट निवासी तलाई शिवालय के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी (मृतक)

4/1 गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह जाट निवासी तलाई शिवालय के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी

4/2 प्रेमसिंह पुत्र स्व. भगवानसिंह जाट निवासी तलाई शिवालय के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी

4/3 चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह जाट निवासी तलाई शिवालय के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी

4/4. शिमला पुत्री स्व. भगवानसिंह पत्नी देवेन्द्र चौधरी, जाट निवासी मकनपुर जिला करौली

4/5 विजयलक्ष्मी पुत्री स्व0 भगवानसिंह पत्नी सुरेन्द्र, जाट निवासी मकनपुर जिला करौली

4/6 माया देवी पुत्री स्व0 भगवानसिंह पत्नी मानसिंह, जाट निवासी मकनपुर जिला करौली
——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश संरपच ग्राम पंचायत उदेईकलॉ
नामान्तरकरण संख्या 96 दि0 25.11.1957

उपस्थित :– श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री दिलीप पैगोरिया, रेस्पोडेन्ट्स सं0 4/1 से 4/6 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण से विवादित भूमि के खातेदार चैनसुख पुत्र स्व0 श्री भोला के द्वारा भूमि ख0न0 5306, 5307, 5346, 5347, 5344, 5343 ग्राम उदेईकलॉ दिनांक 17.1.1957 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 700/– रूपये मे अपीलार्थी व रेस्पोन्डेट संख्या 4 के स्वर्गीय पिता श्री बत्तूजाट को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तभी से इस भूमि पर श्री बत्तूजाट एवं उनके देहावसान के बाद अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 4 द्वारा काश्त की जाती रही है। एकीकरण मे भूमि के ख0न0 2578 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा थे तथा हाल सेटिलमेन्ट मे इसके नवीन ख0न0 5702, 5703, 5708, 5709, 5710, 5712, 5713 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा बने है। अपीलार्थी व रेसपो0 सं0 4 ने अपनी उक्त भूमि का आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:38:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बंटवारा प्रार्थी के निजी रिश्तेदारों की उपस्थिति मे कर लिया। जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 4 के हिस्से मे भूमि ख0न0 5702 व 5703, 5712 आई। जिसमे ख0न0 5712 मे उसने अपनी रिहायसी हेतु मकान बना रखा है तथा अपीलार्थी ने ख0न0 5713 ने स्वयं का रिहायसी मकान बना रखा है। रेस्पो0 संख्या 4 भगवानसिंह ने अपने हिस्से मे आई भूमि ख0न0 5702, 5703 रकबा करीब 4 बीघा को जरिए अनरजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 3.1.1985 को श्री ओमप्रकाश पुत्र नामालूम जाति महाजन को साठ हजार रूपये मे विक्रय कर कब्जा संभला दिया। जिसमे उक्त विक्रेता ने 66 प्लाट बना कर भूखंड विभिन्न व्यक्तियें को बेच दिये। भूखंड के खरीददारों ने अपने अपने भूखंडों पर रिहायसी मकान बना लिए हैं अथवा चारदीवारी का निर्माण कर लिया है। शेष कृषि भूमि प्रार्थी अपीलार्थी की रही है जिस पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमिश्री चैनसुख पुत्र श्री भोला माली से अपीलार्थी के पिता श्री बत्तू जाट द्वारा खरीदी गई थी परन्तु इसका नामान्तरकरण संख्या 88 अपीलार्थी के पिता बत्तू जाट के नाम नहीं भरा जाकर दोनों भाईयों के नाम भरा गया जो गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि साबिक ख0नं0 5306, 5307, 5343, 5344,5346, 5347 के एकीकरण ख0नं0 2578 रकबा 8 बीघा 13 विस्वा व हाल सेटिलमेंट ख0नं0 5702, 5703, 5708, 5709, 5710, 5712, 5713 कुल रकबा 8 बीघा 13 विस्वा को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने फर्जकारी कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया व गलत बेचान कर दिया जिसका रिकार्ड व रजिस्ट्री देखने पर उक्त गलत इन्द्राज का पता चलने पर यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। ग्राम पंचायत उदेईकलां द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1957 के विरूद्ध गलत रूप से नामान्तरकरण स्व0 बत्तू व प्रभू पुत्रान कन्हैया के नाम से भरा गया नामान्तरकरण संख्या 88 जिसका इन्द्राज जमाबंदी सं0 2013 में किया गया है जो सिरे से ही गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। यह नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह नामान्तरकरण गलत होने के बाद भी बाला—बाला जमीन की खरीद फरोख्ती के नामान्तरकरण खोले जा रहे हैं व खोले गए हैं जो भी अवैधानिक व प्रभावहीन व शून्य होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विवादित क्रयशुदा भूमि के असली खातेदार अपीलार्थी के पिता श्री बत्तू पुत्र कन्हैया जाट का देहावसान हो चुका है इसलिए अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के नाम संयुक्त रूप से नामान्तरकरण खोला जाना विधि सम्मत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 25.11.1957 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी को निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में स्व0 बत्तू जाट क्रेता के नाम नामान्तरकरण दुरूस्त फरमाया जाकर उनके फौत होने की वजह से उनके उत्तराधिकारी अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के नाम 1/2, 1/2 का नामान्तरकरण भरकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में दिए जावें।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 25.11.1957, नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:58:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

विक्रयपत्र दिनांक 17.1.1957, नकल नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 15.6. 1961 प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से मूल नामान्तरकरण जिल्द प्राप्त हुई।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 रामसिंह पुत्र स्व0 प्रभू जाट निवासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी ने दिनांक 21.7.2020 को एक शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि से उनके पिता स्व0 प्रभू जाट का कोई वास्ता नहीं रहा है, वादग्रस्त भूमि पर मेरे ताऊजी स्व0 बत्तू जाट के जीवनकाल में उनका ही कब्जा काश्त रहा है। उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रान का कब्जा काश्त रहा है।

बहस विद्धान अभिभाषक उभययपक्ष सुनी गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 के विद्धान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है एवं इस लिखित बहस का अपीलार्थी की ओर से जबाब भी प्रस्तुत किया गया है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 लगायत 4/6 के विद्धान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 25.11.1957 को निरस्त किए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 62 साल बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत यह अपील मियाद बाहर विधि विरूद्ध होने से 62 वर्ष की मयाद बाहर अवधि को कन्डोन विषम परिस्थितियो में कर सकती है। माननीय न्यायालय को प्रस्तुत अपील तक सीमित अधिकार है, न्यायालय को किसी भी सूरत में प्रस्तुत अपील को निर्णित करने के अलावा अन्य नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विधि के अनुसार कोई भी आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है जबकि विवादित भूमि के सम्बन्ध में विभाजन, घोषणां एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन है। यदि न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बाहर आदेश पारित करती है तो वह आदेश कोर्ट कन्टेम्पट की तारीफ में जाना जावेगा। विवादित भूमि पैत्रक नहीं होकर बत्तूलाल की स्वअर्जित भूमि है जिसे बत्तूलाल जाट ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1957 को चैनसुख माली से खरीद की थी एवं इसके आधार पर ही बत्तूलाल जाट के नाम जमाबंदी में खातेदारी दर्ज की गई जबकि अपील में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है और रजिस्ट्री एकमात्र बत्तूलाल जाट के नाम दर्ज है, प्रभूलाल का उक्त विवादित भूमि से कोई वास्ता कभी नहीं रहा है। इसलिए विवादित भूमि पैत्रक नहीं होकर स्वअर्जित होने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

इस लिखित बहस के जबाब में अपीलार्थी के विद्धान अभिभाषक ने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2020 को पारित आदेश में मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद मानी जा चुकी है एवं इस आदेश की पुष्टि माननीय राजस्व

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:38:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 4106/2020 उनवानी भगवानसिंह मृतक जरिए वारिसान बनाम देवीसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.8.2025 द्वारा भी कर दी गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही इल्लीगल है क्योंकि मूल विक्रेता खातेदार चैनसुख पुत्र भोला माली द्वारा एकमात्र व्यक्ति बब्तूलाल जाट के हक में भूमि का बेचान किया गया है इसलिए नामान्तरकरण केवल बत्तूलाल जाट के नाम ही खुलना चाहिए था एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के नाम खुलना चाहिए था। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 96 शुरू से ही रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार नहीं खोला गया था। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1957 के अनुसार खातेदार चैनसुख पुत्र भोला माली द्वारा उसके खातेदारी की भूमि 9 बीघा बत्तू पुत्र कन्हैया जाट निवासी गंगापुर को विक्रय की है एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 96 दिनांक 25.11.57 जो खोला गया है वह बत्तू व प्रभू पिता कन्हैया के नाम खोला गया है जो अपने आप मे गलत है क्योकि भूमि का विक्रय केवल बत्तू जाट के नाम ही हुआ है परन्तु तत्कालीन सरपंच द्वारा यह नामान्तकरण गलत रूप से बत्तू व प्रभू पुत्र कन्हैया जाट के नाम तस्दीक करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार नामा0 संख्या 96 प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 25.11.1957 ग्राम उदेईकलॉ निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/6 को सुनकर नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 25.11.1957 ग्राम उदेईकलॉ पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/2026 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:38:15 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)